बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 6006 /अकादमी/संबंद्वता/2020 भोपाल, दिनांक 24-12-2020

संशोधित अधिसूचना

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबद्ध शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों हेतु सत्र **2021-22** की **स्थाई**/अस्थाई संबद्धता/ **नवीनीकरण** /पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों की निरंतरता / नवीन महाविद्यालय, नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व से संचालित विषयों की उप्तरवर्ती कक्षाओं की अस्थाई संबद्धता प्राप्त करने हेतु म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल / केन्द्रीय निकाय की अनुमति के साथ विश्वविद्यालय में संपूर्ण जानकारी (आवश्यक प्रपत्रों) के साथ एम.पी.आनलाईन के माध्यम से आवेदन एवं शुल्क 18% GST सहित जमा करने की **अंतिम तिथि संबंधी अधिसूचना विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 5906/अकादमी/संबद्धता/2020 भोपाल दिनांक 05.12.2020 द्वारा जारी की गई थी जिसमें** निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र	समस्त पाठ्यक्रम/संकाय/सामान्य/व्यावसायिक	अंतिम तिथियां
1	**नवीन शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों नवीन संकाय, नवीन विषय प्रारंभ करने हेतु**	**31-01-2021**
2	**शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों की पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों की स्थाई/अस्थाई संबद्धता की निरंतरता आवेदन करना समस्त संकाय** संकाय-कला, समाज विज्ञान, विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, प्रबंध एवं अन्य सामान्य/व्यवसायिक पाठ्यक्रम	**31-01-2021**

NOTE :-

1 विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 05.08.2019 के निर्णयानुसार निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात आवेदनों पर 50 प्रतिशित अधिभार लिया जावेगा। समस्त मूल शुल्क पर 18% GST अतिरिक्त देय होगा।

2 महाविद्यालय को MP-Online के माध्यम से आवेदन करने की अंतिम तिथि पश्चात, पांच दिवस के अन्दर संपूर्ण आवेदन पत्र (Part-A) मय संलग्नकों प्रस्तुत दस्तावेजों को तालिकानुसार फ्लेग के साथ प्राचार्य /संस्था के सचिव से अनिवार्य रूप से सत्यापित करवाकर महाविद्यालय की सील सहित अकादमी कक्ष में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3. नवीन आवेदित महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में प्रवेश तभी दिया जावे जब कि महाविद्यालय विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त की हो। किसी भी महाविद्यालय के द्वारा विश्वविद्यालय की संबद्धता प्राप्त किये बगैर विद्यार्थियों को प्रवेश देता है तो इसकी संपूर्ण जबाबदारी संबंधित महाविद्यालय /संस्था की होगी। विश्वविद्यालय की कोई जबाबदारी नहीं होगी। ऐसे दोषी पाये गये महाविद्यालय के अन्य पाठ्यक्रमों की संबद्धता रद्द करने की कार्यवाही की जावेगी।
आनलाईन आवेदन नहीं करने पर अस्थाई संबद्धता/स्थाई संबद्धता/नवीनीकरण/सीट संख्या में वृद्धि प्रकरण पर कार्यवाही नहीं की जावेगी। जिसकी संपूर्ण जबाबदारी संबंधित महाविद्यालय/संस्था प्रमुख की होगी।

4. महाविद्यालयों से प्राप्त किया जाने वाली शुल्क पूर्व बकाया शुल्क का विवरण लेखा www.bubhopal.ac.in पर प्रदर्शित किया गया है। शुल्क संबधी पत्रों का महाविद्यालयों द्वारा प्रतिक्षा नहीं की जावे, एवं समय सीमा का ध्यान रखे।

5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पारम्परिक एवं विधि (लॉ) पाठ्यक्रमों के लिये जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र / निरंतरता आदेश के पश्चात 07 दिवस के अंदर संबंधित विश्वविद्यालय में निरंतरता / संबद्धता हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

पृ. क. 6007 /अकादमी/संबद्धता/2020 भोपाल, दिनांक 24-12-2020

प्रतिलिपि :

1-बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से संबद्ध समस्त शास. एवं अशा. महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं डीन की ओर पालनार्थ।
2-राज्यपाल के अवर सचित राजभवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3 -अवर सचिव उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4-आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5-क्षेत्रिय संचालक राष्ट्रीय अध्यापक परिषद श्यामला हिल्स मानस भवन, भोपाल
6-संचालक तकनीकी शिक्षा सतपुड़ा भवन भोपाल
7- उपकुलसचिव परीक्षा/गोपनीय विभाग बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
8- कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित
9-वेबसाईट प्रभारी, उपरोक्त अधिसूचना को बेबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
10- संबंधित नस्ती।

सहा.कुलसचिव (अकादमी)